पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 06 अभियुक्तों तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 05 अभियुक्तों गिरफ्तार।

दिनांक- 21.04.2024

दिनांक 20/21.04.2024 को थाना ठाकुरगंज 04, पारा 02, माल 01, गुडम्बा 01, अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में थाना इटौंजा 01, सआदतगंज 01, बाजारखाला 02, महानगर 01, गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 06 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना मोहनलालगंज:- दिनांक 20.04.2024 को एस0आई0 श्री हरिश्चन्द्र थाना मोहनलालगंज द्वारा दौराने गस्त मय हमराह महिला आरक्षी के अभियुक्ता 01-लक्ष्मी उर्फ भारती पत्नी भरतलाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम केशरीखेड़ा थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ को भदेसुवा मोड़ के पास थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक पिपिया मे 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना मोहनलालगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 उत्तरी

3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।

थाना इन्दिरानगर:- दिनांक-20.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार तिवारी थाना इन्दिरानगर द्वारा दौराने चेकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त गैंग लीडर 1.अशोक यादव पुत्र अशर्फी लाल यादव निवासी चूरामन पुरवा थाना इन्दिरानगर लखनऊ उम्र 32 वर्ष व गैंग सदस्य 2. जयकरन यादव पुत्र अशर्फी लाल यादव निवासी चूरामन पुरवा थाना इन्दिरानगर लखनऊ उम्र 34 वर्ष 2. उमेश यादव पुत्र छोटे लाल यादव निवासी चूरामन पुरवा थाना इन्दिरानगर लखनऊ उम्र 29 वर्ष के विरुद्ध थाना इन्दिरानगर पर धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की कार्यवाही की गई। गैंग लीडर अशोक यादव उपरोक्त का संगठित अपराधिक गिरोह है, जो अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न जैसे अपराध कारित करते हैं। उक्त अभियुक्तगण दबंग, मनबढ़ व गुण्डा दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति हैं।

भा0द0वि0

थाना बिजनौर:- आज दिनांक 21.04.2024 को थाना बिजनौर द्वारा बताया गया कि वादी श्री मुकेश मिश्रा पुत्र श्री रमेश मिश्रा निवासी 38ए शांति नगर कानपुर रोड थाना सरोजनीनगर लखनऊ ने थाना बिजनौर पर सूचना दिया कि दिनांक 19.04.2024 को समय लगभग 12.30 बजे वादी के चाचा श्री त्रिलोकी मिश्रा पुत्र श्री हृदयानन्द मिश्रा निवासी उपरोक्त जो आटो संख्या UP32 CZ 4316 से अहिमामऊ से शहीद पथ होते हुए अपने घर आ रहे थे कि रास्ते में बिजनौर पुल से औरंगाबाद पुल के बीच पहुँचे कि पीछे से आ रही अज्ञात वाहन के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आटो सं. UP32CZ4316 में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे आटों में बैठे वादी के चाचा श्री त्रिलोकी मिश्रा तथा आटो चालक के शरीर पर गम्भीर चोटे आ गयी तथा उन घायलों को एम्बुलेंस द्वारा लोक बन्धु हास्पिटल ले जाया गया, जहाँ के डाक्टरों द्वारा वादी के चाच श्री त्रिलोकी मिश्रा को मृत घोषित कर दिया, आटो चालक का इलाज चल रहा है। उसके बाद वादी के चाचा की दाह संस्कार में व्यस्त हो गया था इसलिये प्रार्थी आज दिनांक 20.04.2024 को आपके थाने में दे रहा हूँ। **इस सूचना पर थाना बिजनौर पर मु0अ0सं0 111/2024 धारा 279/304-ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना हजरतगंज:- आज दिनांक 21.04.2024 को थाना हजरतगंज द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.04.2024 को समय करीब 09.12 बजे आगन्तुक श्री रियाज वार्ड ब्वाय सिविल अस्पताल लखनऊ ने थाना हजरतगंज पर एक किता फौती मेमो दाखिल किया कि एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 45 वर्ष को इस चिकित्सालय में मृत अवस्था में लाया गया। शव को शवग्रह में रखवा दिया गया। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री अवधेश कुमार चतुर्वेदी मो0 9336747986 थाना हजरतगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति का शव कसमॉडा हाउस के पास टेलीफोन बॉक्स पर मिला। शव की शिनाख्त के प्रयास किये जा रहे हैं। शेष कार्यवाही की जा रही है।

थाना सआदतगंज:- आज दिनांक 21.04.2024 थाना सआदतगंज द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती रेनू बाला श्रीवास्तव पत्नी श्री सतीश कुमार निवासी बी-81/1, एमआईजी नेशनल हास्पिटल के पास, एलडीए कालोनी टिकैतराय तालाब, सआदतगंज लखनऊ ने थाना सआदतगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 18.04.2024 को समय करीब 06.30 बजे शाम को वादिनी ने BLENKET.COM से कुछ सामान ONLINE order मंगवाया था। जिसके एवज में उसने कुछ रुपये हमसे ज्यादा charge कर लिया गया। इसके refund के लिये वादी ने उसको फोन किया, इसी बीच इसके किसी अरविन्द कुमार और राजीव पासवान का फोन आया और वादिनी से कहा कि आपका पैसा refund हो जायेगा, आप AVVAL DESK एप डाउनलोड करियेगा। फिर वादिनी द्वारा बताये गये एप को डाउनलोड करके जैसे जैसे INSTRUCTION देता गया वादिनी उनको FOLLOW करती चली गई। जिससे वादिनी के पेटीएम के द्वारा दो बार मे वादिनी के SBI account से 93,657/-रूपये व 6,500/-रुपये कट गये। इस घटना की रिपोर्ट तुरन्त वादिनी ने साइबर क्राइम में आनलाइन कम्पलेन किया। दिनांक 19.04.2024 को hackers का 15 बार फिर फोन आया। वादिनी काफी डरी हुई है। वादिनी रेनू बाला श्रीवास्तव 68 वर्षीय ग्रिहीणी है और वादिनी के पति सतीश कुमार 74 वर्षीय एक रिटायर्ड अधिकारी है। **इस सूचना पर थाना सआदतगंज पर मु0अ0सं0 064/2024 धारा 420 भादवि व 66-डी आई टी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना चिनहट:- आज दिनांक 21.04.2024 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादी श्री रंजीत शर्मा पुत्र श्री सूरज शर्मा निवासी काशीराम कालोनी मकान न0 42/9 थाना चिहनट लखनऊ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि दिनांक 18.04.2024 को रात्रि समय करीब 09.00 बजे वादी का भाई संदीप शर्मा पुत्र श्री सूरज शर्मा निवासी उपरोक्त अपनी बाईक से इन्दिरानगर पालिटेक्निक से चिहनट की ओर जा रहा था। तभी चिहनट तिराहे से पहले फौजी ढाबा के सामने पीछे से एक अज्ञात वाहन के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के भाई की मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दिया जिससे वादी के भाई संदीप शर्मा उपरोक्त गम्भीर रुप से घायल हो गया। वादी के भाई को तत्काल लोहिया अस्पताल ले जाया गया। वहां से वादी के भाई को ट्रामा सेन्टर के लिये रिफर कर दिया गया, ट्रामा सेन्टर में इलाज के दौरान वादी के भाई संदीप शर्मा पुत्र श्री सूरज शर्मा निवासी काशीराम कालोनी मकान न0 42/9 थाना चिहनट लखनऊ को मृतक घोषित कर दिया गया। **इस सूचना पर थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 172/2024 धारा 279/304-ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना पीजीआई:- आज दिनांक 21.04.2024 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.04.2024 को समय सुबह 04.08 बजे आगन्तुका श्रीमती विनिता देवी पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी ग्राम महमूदपुर धतिगड़ा, थाना कासिमपुर जनपद हरदोई हालपता 587/388 ए ब्लाक गांधीनगर तेलीबाग लखनऊ ने थाना पीजीआई पर एक किता फौती सूचना लिखित दाखिल किया कि उनके पति अनिल कुमार उपरोक्त ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री बलराम दुबे मो0 7607366759 थाना पीजीआई द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक अनिल कुमार उपरोक्त सेना से रिटायर्ड थे और किराये के मकान गांधीनगर में सपरिवार रहते थे। अनिल कुमार ने कमरे में लगे पंखे में बेडसीट का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। मृतक के परिवार के सभी लोग एक शादी समाहरोह में गये थे, देर रात्रि जब अनिल की पत्नी ने उनको फोन किया तो कई कॉल करने के बाद भी अनिल कुमार का फोन नही उठा तो मकान मालिक द्वारा जाकर देखा गया तो अनिल कुमार ने पंखे लटक कर फांसी लगा ली है। मृतक के दो लड़के है, जिनकी उम्र क्रमशः 16 वर्ष व 13 वर्ष है।

थाना हजरतगंज:- आज दिनांक 21.04.2024 को थाना हजरतगंज द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.04.2024 को समय करीब 11.05 बजे आगन्तुक श्री रियाज वार्ड ब्वाय सिविल अस्पताल लखनऊ ने थाना हजरतगंज पर एक किता फौती मेमो दाखिल किया कि दिनांक 21.04.2024 को समय करीब 10.45 बजे इस चिकित्सालय में आशीष प्रकाश (दोस्त) निवासी 4/723 विकासनगर लखनऊ मो0 9936247752 द्वारा विनय कुमार शुक्ला उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र श्री कन्हैयालाल निवासी हिन्द सिटी कालोनी देवा रोड थाना चिनहट लखनऊ को मृत अवस्था में लाया गया। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री अवधेश कुमार चतुर्वेदी मो0 9336747986 थाना हजरतगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि विनय कुमार शुक्ला उपरोक्त अध्यापक पद पर नियुक्त है। जिनकी परीक्षा डियूटी लगी थी अचानक दिल के दौरा पडने से विनय कुमार शुक्ला के दोस्त/ सहकर्मी के द्वारा इनके चिकित्सालय लाया गया था जहां डॉक्टरों द्वारा विनय कुमार शुक्ला उपरोक्त उम्र करीब 38 वर्ष को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। मृतक का मूल पता कमलापुर जनपद सीतापुर है।